

प्रेस नोट दिनांक- 26.11.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

❖ थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्राड करने वाले गिरोह के प्रकाश में आये 07 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

❖ गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक स्कार्पियो बिना नम्बर प्लेट, 15 मोबाइल, 04 सिम कार्ड, 29 एटीएम कार्ड, 8 पैन कार्ड, 07 आधार कार्ड, एक निर्वाचन कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस व 05 चेक बुक सील सर्वमोहर की गयी बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली व आशुतोष, क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है व उनके कब्जे से साइबर फ्राड करने वाली सामग्री की गयी बरामद।

पूर्व की पुलिस कार्यवाही- दिनांक 16/17.11.2024 को रात्रि में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा आलमपुर नहर के पास चेकिंग के दौरान दो मोटरसाईकिल पर सवार कुल 05 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 07 मोबाइल फोन, 146 सिम कार्ड, 01 बायो मेट्रिक मशीन मय वायर, 02 आधार कार्ड व 01 आधार कार्ड की फोटो कापी, 02 मोटरसाईकिल, 02 एटीएम कार्ड, 01 पेन कार्ड, 01 ई-श्रम कार्ड एवं नगद रुपये 2,81,500/- भी बरामद किया गया था।

दिनांक 25.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक अलीनगर मयहमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि मु0अ0सं0 307/24 धारा 317(2)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/3 (5) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना अलीनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण एक स्कार्पियो से पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों के घर ग्राम गोधना गये है।

इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अलीनगर मयहमराह द्वारा ग्राम गोधना नहर मोड नेशनल हाइवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया एक-एक वाहन की चेकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान एक काली स्कार्पियों में सवार कुल 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अजय सिंह पुत्र ओमवीर सिंह नि० कुकहा महमूदपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 30 वर्ष।
2. श्रीनिवास सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह नि० ग्राम बरौली थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर उम्र करीब 32 वर्ष।
3. राहुल मिश्रा पुत्र जयप्रकाश मिश्रा नि० ग्राम भरेहटा थाना कोतवाली जनपद अमेठी हाल पता B17 Flat No S5 बसेरा 8 सुशांत गोल्फ सिटी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी असल लखनऊ।
- 4- अजय गुप्ता पुत्र नंदकिशोर गुप्ता नि० बाजूपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड उम्र करीब 32 वर्ष।
- 5- ऋषभ पुत्र मोरपाल निवासी पिपरी पोस्ट परसौना खलीलपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 25 वर्ष।
- 6- जहीर अब्बास नकवी पुत्र स्व० जफर अब्बास नकवी उम्र करीब 37 वर्ष नि० मौहल्ला लकडो अपोजिट इमामबाडा थाना कोतवाली जनपद अमरोहा हालपता हाउस नं. S10 फ्लैट नं0 डी6 हिलाल अपार्टमेंट अपोजिट मोहल्ला क्लीनिक जोगाबाई एक्सटेंशन बाटला हाउस जामिया नगर ओखला नई दिल्ली उम्र करीब 38 वर्ष।
- 7- शिवम सिंह पुत्र मनोज कुमार सिंह नि० जानखेडा पोस्ट लाही थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी उम्र करीब 27 वर्ष।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग आपस में मिलकर भोली-भाली जनता को काल करके अलग-अलग मोबाइल नं. से फोन / मेल / व्हाट्सएप कालिंग या एसएमएस के जरिये लोगो को नौकरी दिलाने पासपोर्ट

बनवाने केवाईसी अपडेट कराने एटीएम बन्द होने तथा गूगल-पे व गेमिंगएप पर बोनस के नाम पर काल करके उनके बैंक डिटेल प्राप्त कर आनलाइन फ्राड के माध्यम से पैसे मगाँवाकर ले लेते है तथा उसे आपस में बाट लेते है। हम लोगो ने कुछ समय पहले रोहित यादव व रोशन कुमार निवासीगण गोधना थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के खाते में फ्राड का पैसा भेजवाए थे जिसे लेने के लिए आज हम लोग आये थे।

अपराधिक इतिहास- पंजीकृत मु0अ0सं0 307/24 धारा 317(2)/318(4)/319 (2)/336(3)/338/340(2)/3(5) बीएनएस व 66 डी आई टी एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी विवरण-

एक स्कार्पियो बिना नम्बर प्लेट

15 मोबाइल फोन

04 सिम कार्ड

29 एटीएम कार्ड,

8 पैन कार्ड

07 आधार कार्ड

एक निर्वाचन कार्ड

एक ड्राईविंग लाइसेंस

05 चेक बुक सील सर्वमोहर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक अलीनगर

उ0नि0 अमित कुमार सिंह

का० शैलेन्द्र कुमार

का० शैलेन्द्र यादव

का० अमित सिंह,

का० आशुतोष यादव

का० बीर बहादुर

का० दीपक यादव

का0 चन्दन कुमार।

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा द्वारा एक पिकअप वाहन में से वध हेतु क्रूरता पूर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 06 राशि गोवंश किये गये बरामदा

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर 01 पिकअप से 06 राशि गोवंश किये गये बरामदा।

दिनांक 26.11.2024 को उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह मय हमराहियान को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन जो चन्दौली की तरफ से आ रहा है जिसमें कुल 06 राशि गोवंश को क्रूरता पूर्वक बाँधकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर उ.नि. दिनेश कुमार सिंह मय हमराहियान द्वारा एनएच 02 हाईवे ग्राम बरठी कमरौर के पास चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन मय गोवंशों की बरामदगी की गयी। वाहन चालक पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग को देखकर चेकिंग प्वाइंट से कुछ दूरी पूर्व ही वाहन को छोडकर मौके से फरार हो गया। गोवंश बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 212/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी का स्थान व समय

एनएच 02 हाईवे ग्राम बरठी कमरौर से समय करीब 07.00 बजे दिनांक 26.11.2024

बरामदगी का विवरण:-

1. एक पिकअप वाहन संख्या UP 65 JT 9406
2. 06 राशि गोवंश

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –

1. निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी- प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उप निरीक्षक- दिनेश कुमार सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली।
3. का0 प्रशान्त कुमार थाना सैयदराजा चन्दौली।
4. का0 अजय पटेल थाना सैयदराजा चन्दौली।

थाना कोतवाली जनपद चन्दौली

◆थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा एक बस से परिवहन की जा रही 103.680 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 03 शराब तस्करो को किया गया गिरफ्तार।

◆बरामद अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 60600/-रु०

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अवैध शराब/शराब तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चन्दौली राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चन्दौली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस मझवार रेलवे स्टेशन के पास सघन चेंकिंग अभियान के दौरान एक बस से परिवहन की जा रही 103.680 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 03 शराब तस्करो को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 281/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 25.11.2024 को उ0नि0 सूरज सिंह मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि चकिया चौराहे से एक बस वाहन संख्या UP65JT6809 चली हैं शराब तस्करो द्वारा उस पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब लादी गयी हैं जिसे वे लोग बिहार लेकर जाने वाले हैं मुखबिर की सूचना पर चन्दौली पुलिस टीम द्वारा मझवार रेलवे स्टेशन के पास आकर हाईवे से आने वाले वाहनों को रोक कर चेक करने लगे। कुछ समय उपरान्त उक्त बस आता हुआ दिखाई दिया जिसे चन्दौली पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर सड़क किनारे रुकवा कर चेक किया गया तो उक्त बस पर सवारी भी बैठे हुए थे।

जिसके उपरान्त थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा सर्वप्रथम बस के गेट के पास रखे हुए बैटरी के डिब्बो को खुलवाकर चेक करवाया गया तो

1.Livguard Inver Tuff XLL काले लाल डिब्बे से एक सफेद रंग की बैटरी जिसपर लाल प्लेट लगी हुई थी बरामद हुयी जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें से कुल 96 फ्रूटी पैक 8 पीएम प्रत्येक 18 एमएल कुल 17.200 ली० अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

2.Active Low Maintance Battery नीले रंग के डिब्बे को खोल कर देखा गया तो उसमें सफेद रंग की बैटरी जिस पर काली प्लेट लगी हुई बरामद हुआ जिसे खोलकर देखने पर उसमें से कुल 96 फ्रूटी पैक 8 पीएम प्रत्येक 180 एमएल कुल 17.280 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

तत्पश्चात तीनो व्यक्तियों को बस से उतार कर बस के पीछे के बाक्स की चेचिंग कराई गयी तो उक्त बाक्स में कुल 4 बैटरी के डिब्बे अलग-अलग कम्पनी के बरामद हुई जिसे मौके पर खुलवाकर देखा गया तो

1. Livguard IT1554IT काले लाल डिब्बे से एक सफेद रंग की बैटरी जिस पर लाल प्लेट लगी हुई थी बरामद हुआ जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें से कुल 96 फ्रूटी पैक 8 पीएम प्रत्येक 180 एमएल कुल 17.280 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई

2. Active Low Maintenance Battery नीले रंग के डिब्बे को खोल कर देखा गया तो उसमें सफेद रंग की बैटरी जिस पर लाल प्लेट लगी बरामद हुआ जिसे खोलकर देखने पर उसमें से कुल 96 फ्रूटी पैक आफीसर च्वाइस प्रत्येक 180 एमएल कुल 17.280 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई

3. Active Low Maintenance Battery नीले रंग के डिब्बे को खोल कर देखा गया तो उसमें सफेद रंग की बैटरी जिस पर नीली रंग की प्लेट लगा बरामद हुआ जिसे खोलकर देखने पर उसमें से कुल 96 फ्रूटी पैक आफीसर च्वाइस प्रत्येक 180 एमएल कुल 17.280 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई

4. Luminous कम्पनी के बैटरी के डिब्बे को खोल कर देखा गया तो उसमें सफेद रंग की बैटरी जिस पर लाल प्लेट लगी बरामद हुआ जिसे खोलकर देखने पर उसमें से कुल 96 फ्रूटी पैक आफीसर प्रत्येक 180 एमएल कुल 17.280 लीटर अंग्रेजी शराब कुल मिलाकर 103.680 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई

पूछताछ विवरण-

बरामद शराब के संबंध में बस ड्राइवर, कण्डेक्टर व मैनेजर से पूछा गया तो बस मैनेजर राम प्यारे सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब यह बस हम लोग मारुती नगर बस स्टैण्ड लंका वाराणसी से सवारी लादकर ले आ रहे थे व चकिया तिराहे शंकर चौधरी नाम का एक व्यक्ति हैं जिसने यह शराब बिहार ले जाने के लिए बस में रखवाया है। जिसे लेकर हम औरंगाबाद बिहार ले जा रहे थे वहां एक डीलर है जो यह शराब लेकर हमें अच्छे खासे पैसे हमें दे देता है उसका नाम पता मुझे नहीं पता है हम सभी लोग मुनाफे के पैसे को आपस में बराबर-बराबर बाट लेते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स. 281/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना व जिला चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. दीपक पाण्डेय पुत्र नेपाल पाण्डेय उम्र 22 वर्ष निवासी ग्रा0 रतवार थाना भभुआ जिला कैमूर भभुआ बिहार
2. राम प्यारे सिंह पुत्र राम सुन्दर सिंह निवासी ग्राम तेतरिया थाना NTPC खैरा जिला औरंगाबाद बिहार उम्र 54 वर्ष
3. मनोज कुमार सिंह पुत्र स्व0 बृज बिहारी सिंह निवासी बराही थाना माली जिला औरंगाबाद बिहार उम्र 50 वर्ष

विवरण बरामदगी –

1. 103.680 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (288 फ्रूटी पैक आफीसर पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक 180 एमएल (कुल 51.84 ली0) व 288 फ्रूटी पैक 8 पीएम अंग्रेजी शराब प्रत्येक 180 एमएल (कुल 51.84 ली0)
2. एक बस वाहन संख्या UP65JT 6809

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ.नि. सूरज सिंह चौकी प्रभारी नवही थाना व जिला चन्दौली
2. उ.नि. राजेश सिंह थाना व जिला चन्दौली।
3. उ.नि. अमित कुमार मिश्रा थाना व जिला चन्दौली।
4. हे.का. सुनिल कुमार सिंह थाना व जिला चन्दौली।
5. का. सुभम शर्मा थाना व जिला चन्दौली।